[redacted]

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ———— /2017 पुनरीक्षण

आवेदकगण/निगरानीकर्तागण III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3624

(473)

1. केदार आयु 52 वर्ष
2. श्रामप्रकाश आयु 49 वर्ष
3. मुन्नालाल आयु 46 वर्ष
4. रामलखन आयु 43 वर्ष
5. तुलाराम आयु 37 वर्ष
6. सभाराम आयु 32 वर्ष

पुत्रगण स्व श्री जानकीप्रसाद बघेल समस्त जाति बघेल निवासीगण ग्राम कछपुरा मौजा खिरेंटा तहसील अम्बाह जिला मुरैना

दिवाकर दीक्षित 3-10-17 द्वारा आज ... प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 3/10/17

C.F. 6/10/17

बनाम

अनावेदकगण

1. महिला प्रेमवती आयु 47 वर्ष पुत्री स्व श्री फुन्दी पत्नी श्री राजाराम निवासी ग्राम दक्षपुरा मौजा जौंहा तहसील अम्बाह जिला मुरैना
2. महिला रामदुलारी आयु 44 वर्ष पुत्री स्व श्री फुन्दी पत्नी श्री रामअवतार निवासी ग्राम दक्षपुरा मौजा जौंहा तहसील अम्बाह जिला मुरैना
3. महिला गुडडी आयु 39 वर्ष पुत्री स्व श्री फुन्दी पत्नी श्री मुन्नालाल निवासी ग्राम पाटीवारा मौजा रजौधा तहसील अम्बाह जिला मुरैना
4. महिला रामस्नेही आयु 52 वर्ष पुत्री स्व श्री फुन्दी पत्नी श्री कम्पोटर निवासी ग्राम निवाजीपुरा मौजा जौंहा तहसील अम्बाह जिला मुरैना
5. महिला रामसखी आयु 42 वर्ष पुत्री स्व श्री फुन्दी पत्नी श्री रामलखन निवासी कारेमाठी का पुरा मौजा काचील तहसील पोरसा जिला मुरैना

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता1959 पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बाह प्रकरण कमांक

*34/16–17 **x**अ–27 में आवेदकगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 निरस्त किया गया, उक्त आदेश दिनांक 20.9.2017 की छाया प्रति अनुलग्न कमांक–1 से सलंग्न है। से व्यथित होकर।*

मानगीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय अम्बाह के समक्ष एक लेखीय आवेदन अन्तर्गत धारा 178 म0प्र0 भू राजस्व संहिता में भूमि सर्वे कमांक 93 रकबा 0.306 हेक्टर, 95 रकबा 0.800 हेक्टर, 97 रकबा 0.500 हेक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 2.400 हेक्टर ग्राम कछपुरा मौजा खिरोटा तहसील अम्बाह जिला मुरैना में स्थित है के बॅटवारे हेतु प्रस्तुत किया, जो कि, न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील अम्बाह जिला मुरैना में प्रकरण कमांक 34/16–17 xअ–27 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 178 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की छाया प्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ *अनुलग्न कमांक–2* के रूपमें सलंग्न है।
2. यहकि, उक्त प्रकरण में आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन अन्तर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता प्रस्तुत कर प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन इस आधार पर किया कि, उपरोक्त सर्वे कमांकों के संबंध में माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश अम्बाह के समक्ष प्रकरण कमांक 15/17–अ–बी सिविल अपील ग्राहय होकर विचाराधीन है। उक्त आवेदन की छाया प्रति मय सहपत्र सहित एवं आदेश पत्रिका माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ *अनुलग्न कमांक–3* के रूपमें सलंग्न है।
3. यहकि, उक्त आवेदन के पश्चात अनावेदकगण द्वारा अनुलग्न कमांक–2 का उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी छाया प्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ *अनुलग्न कमांक–4* के रूपमें सलंग्न है।

उक्त आदेश से अनुलग्न कमांक–1 से व्यथित होकर आवेदकगण की यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु निम्न आधारों

XXIX(a)-BR(H)-11

(473)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3624

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	